ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-2*March- 2018
Innovation The Research Concept

स्वच्छ भारत से समग्र भारत का विकास

सारांश

व्यापक परिदृश्य में देखें तो "स्वच्छ भारत" का सपना हमारी उन छोटी–छोटी आदतों पर टिका है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, सिर्फ नदी–नाले, सड़क या भवनों की साफ–सफाई तक इस सपने को सीमित न करें बल्कि दो कदम आगे बढ़ते हुए ये सोचें कि हम इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान दे सकते हैं, हम और आप एक जागरुक नागरिक की तरह सिर्फ सोचे ही नहीं, व्यवहार भी करें। क्योंकि आने वाली नस्लों को खूबसूरत, सक्षम और मजबूत भारत देने का ख्वाब हम सभी का है।

मुख्य शब्द : स्वच्छ भारत, अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, विकासशील देश।

अतुल दुबे
प्राचार्य,
श्रीराम इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट,
जबलपुर, म.प्र.

तुलसीदास बंजारे
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन,
जबलपुर, म.प्र.

प्रस्तावना

सन् 2019 में भारत जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती मना रहा होगा तब तक भारत में एक बहुत बड़े सपने का लक्ष्य साकार कर लिया गया होगा। एक ऐसा सपना जिसे देखने के लिये हमें आजादी के बाद भी 67 साल लग गए लेकिन इसको हकीकत बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीन से इस महाक्रान्ति का आह्वान किया तब लोगों को अहसास हुआ कि ऐसा कुछ है जो वो जाने–अनजाने में भूल जाते हैं। हम लोग घर दफ्तार तो साफ रखते हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में गली–मोहल्लों में क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं।

वर्ष 2012 की विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि स्वच्छता के अभाव में हम हर साल लगभग 54 अरब डॉलर गंवा देते हैं दवाई, इलाज या फिर बीमारी में कामकाज पर न जाने के कारण यानी हर भारतीय औसतन 6,500 रूपये गंवा देता है।

'स्वच्छ भारत' अभियान एक व्यापक अभियान है जिसको पूरा करने के लिये चौतरफा रणनीति बनाई गई है जिससे कि लक्ष्य को हासिल करने में कोई कठिनाई ना हो।

'स्वच्छ भारत' अभियान को दो हिस्सों में बांटा गया है– स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत अभियान शहरी। इन दोनों के लिये पेयजल और स्वच्छता की जिम्मेदारी क्रमशः ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय लेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय हर गांव को योजना की तारीख से अगले पांच साल तक 20 लाख रूपये की धनराशि मुहैया करवाएगा। इस अभियान के तहत सरकार हर परिवार को व्यक्तिगत रूप से 12 हजार रूपये की धनराशि शौचालय के निर्माण के लिये दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस अभियान पर 134,000 करोड़ रूपये की धनराशि का खर्च आएगा। जहां पर घरेलू शौचालय बनाने में दिक्कत होगी वहां सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही, ठोस कचरे के निपटान के लिये भी काम किया जा रहा हैं आम स्थानों जैसे बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इस पूरी योजना में अनुमानतः 1 लाख 86 हजार करोड़ रू. खर्च आएगा जिससे देशभर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए जाने की योजना है। इतना ही नहीं जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां शुष्क शौचालय यानी बायो टॉयलेट्स के निर्माण पर काम जारी है। इस अभियान में दो प्रमुख चुनौतियों पर काम किया जा रहा है। पहला ग्रामीण भारत में साफ–सफाई की कमी एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है दूसरी चुनौती लोगों की सोच को बदलना है। हम कब सड़कों पर कचरा न फेंकना खुद सीखेंगे। लोग खुद कब अपने इलाके को साफ–सुथरा रखना सीखेंगे। ये दोनों काम अगर हो जाते हैं तो शायद कभी भी इस तरह के अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

अगस्त 2015 में सरकार की तरह से कहा गया कि 'स्वच्छ भारत' अभियान की शुरूआत के बाद से शौचालयों के निर्माण में 446 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि ग्रामीण इलाकों मे 46 प्रतिशत घरों में अपने शौचालय हैं।

उनके 15 अगस्त, 2014 को ही दिए हुए भाषण का केन्द्रबिन्दु हमें उनकी बेटियों के प्रति चिंता भाव में झलकता है। जिसमें उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया। गांव देहात ही नहीं शहरों में भी ऐसे बहुत से विद्यालय मिल जाते हैं, जहाँ पर शौचालय नहीं थे। उन्हें आसपास खेत या झाड़ियों में जाना पड़ता था। इससे न सिर्फ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होती हैं बल्कि बलात्कार जैसे घृणित अपराध का शिकार भी होना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से लड़कियों का ड्राप आउट रेट स्कूलों में कहीं ज्यादा था। इस छोटी सी मगर महत्वपूर्ण सुविधा के अभाव में जाने कितनी ही कल्पना चावला, किरण बेदी सरीखी प्रतिमाओं ने अकाल ही दम तोड़ दिया।

'बाल स्वच्छता' इस स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख हिस्सा है। क्योंकि 'स्वच्छ आदर्श भारत' बनाने में ये नई पौध भविष्य में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली है। ये बच्चे स्वस्थ भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो दूसरों को उनके स्कूल, घरों आसपास के वातावरण को साफ रखने में जागरुकता फैला रहे हैं। दरअसल इन बच्चों पर भरोसे का श्रेय भी प्रधानमंत्री को जाता है। जब इन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 125वें जन्म दिवस पर बाल स्वच्छता अभियान की नींव डाली थी जो 14 नवम्बर से 19 नवम्बर तक चलाया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर साल 2014 में ही गांधी जयंती से विद्यालयों में स्वच्छ भारत–स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाया। इसके अंतर्गत बच्चों में वो छोटी–छोटी मगर महत्वपूर्ण आदतों को अपनाने को प्रेरित किया गया जो उन्हें निरोगी बनाए रखें मसलन खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, साफ वर्दी, कटे नाखून, रूमाल रखना, विद्यालय परिसर को साफ रखना। अब ये सभी अच्छी आदतें उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। वास्तविकता में ये अभियान आज भी बच्चों के मन–मस्तिष्क और उनके क्रियाकलापों में जारी है। बाल स्वच्छता अभियान भी स्वस्थ भारत अभियान का एक अहम् हिस्सा है।

बाल स्वच्छता अभियान की जरूरत इसलिये भी है अगर बच्चे छोटी उम्र में इन बीमारियों का शिकार नहीं भी हुए तो भी अस्वच्छता की वजह से होने वाले रोग इनको घेर लेते हैं जो इनके शरीरिक एवं मानसिक विकास पर असर डालता है।

अब समय आ गया है कि हम और आप एक जागरूक नागरिक की तरह सिर्फ सोचे ही नहीं व्यवहार भी करें। क्योंकि आने वाली नस्लों को खूबसूरत, सक्षम और मजबूत भारत देने का ख्वाब हम सभी का है। उम्मीद है साल 2019 में गांधी जयंती के दिन जब भारत में सुबह की पहली किरणें जगमगाएंगी तब पूरे विश्व में इसकी रोशनी से संदेश देगी कि गांधी जी आज भी जीवित हैं उन सभी सपनों में जो उन्होंने कभी भारत भूमि के लिए देखे थे कभी जात–पात, अस्पृश्यता की समाप्ति पर तो कभी 'स्वच्छ भारत' के हकीकत बनने पर।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्य

1. स्वच्छता, साफ–सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।
2. दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का विजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना।
3. जागरुकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा और आदतें अपनाकर समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।
4. पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थायी स्वच्छता के लिये लागत प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
5. जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ–सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्रणालियों पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास।

मुख्य घटक

व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग

1. पात्र हितग्राहियों के लिए पारिवारिक शौचालय के निर्माण एवं हाथ धोने तथा शौचालय की सफाई के लिए जल भंडारण टंकी सहित निर्माण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रूपये 12,000 है।
2. स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है।

टूटे फूटे शौचालयों का निर्माण

ऐसे अपूर्ण शौचालय जिनका निर्माण मनरेगा सहयोजन से प्रारंभ किया गया था एवं ऐसे अपूर्ण/टूटे–फूटे/अनुपयोगी/शौचालय जिनका निर्माण निर्मल भारत अभियान से पूर्व की योजनान्तर्गत कराया/किया गया था। इनको पुनः निर्मित कराये जाने हेतु मनरेगा के तहत प्रावधान किया गया है। यदि किसी हितग्राही को पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के तहत शौचालय के लिए लाभान्वित किया गया है तथा वर्तमान में वह शौचालय अनुपयोगी पाया गया है। तो पूर्व में प्रदाय राशि को 12,000 रू. से कम करते हुए शेष राशि की सीमा में आवश्यक स्वीकृति दी जा सकेगी ताकि शौचालय उपयोगी बन सके।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण

1. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण केवल तब किया जाएगा जब पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी हो और समुदाय/ग्राम पंचायत उनके परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेवारी लें तथा उसके लिए विशिष्ट मांग करें।
2. ऐसे परिसरों का निर्माण उन सार्वजनिक जगहों, बाजारों, बस–पड़ावों आदि जगहों पर किया जा सकता है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।
3. परिसर निर्माण के लिए मिशन अन्तर्गत अधिकतम लागत रूपये 2.00 लाख निर्धारित है जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं समुदाय/ग्राम पंचायत का अंशदान क्रमशः 60:30:10 के अनुपात में प्रावधानित है।

ठोस एवं तरल कूड़ा करकट का निपटान

ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से प्रावधान है, इसके अंतर्गत 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रू. 7.00 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रू. 12.00 लाख, 500

परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रू. 15.00 लाख एवं 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रू. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाता है। जिसमें चयनित खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों में प्राथमिक रूप से परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) क्षमता वर्धन

आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आई.ई.सी. समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने, परिवारों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित करने के लिए किया जाता है।

नवाचार/पहल

01 जुलाई 2016 से हितग्राहियों को सरलता से शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रूपये 12,000/– भुगतान के लिए www.swachh.mp.gov.in पोर्टल से सीधे संबंधित हितग्राही के खाते में प्रेषण किया जा रहा है। इस सुविधा में हितग्राही खुद अपना शौचालय बनाकर प्रोत्साहन राशि के लिये ऑनलाईन पात्रता जानकर आवेदन कर सकता है अथवा अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकता है। राज्य स्तर से यह भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है अगर हितग्राही चाहे तो प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में प्राप्त कर सकता है।

वर्ष 2016–17 की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. इस वर्ष 31 दिसम्बर 2016 तक 11 लाख घरों में शौचालय निर्मित कराये गये।
2. प्रदेश में 31 दिसम्बर 2016 तक 4,797 ग्राम पंचायतें एवं 11,170 ग्राम खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गये हैं।
3. नरसिंहपुर जिले का चावरपाठा, करेली, सीहोर, जिले का बुदनी, नसरूल्लागंज, उज्जैन जिले का उज्जैन, घटिया, सीधी जिले का कुसमी, मझौली, झाबुआ जिले का बादला, खरगौन का खरगौन, गोंगावां ब्लाक तथा इन्दौर एवं हरदा जिला (ग्रामीण) खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं।
4. समुदाय को जागृत कर उनके अभियान में भागीदारी के लिये 10 हजार स्थानीय ग्रामवासियों को स्वच्छता दूत के रूप में प्रशिक्षण दिया गया। अभी तक 5,500 प्रेरक एवं 1,000 प्रशासनिक अमले को समुदाय आधारित स्वच्छता गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया है।
5. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में वर्ष 2016 में 13 जिलों की 170 ग्राम पंचायतों के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव कुल राशि रूपये 3169.465 लाख के स्वीकृत किये गये है।

रणनीति

1. स्थानीय प्रशिक्षित प्रेरकों द्वारा समुदाय को अभिप्रेरित कर उन्हें सामुदायिक नेतृत्व प्रदान करने की गतिविधि को आई.ई.सी. अन्तर्गत प्रमुखता।
2. गुणवत्तापूर्ण शौचालयों के निर्माण सहित खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों के निर्माण पर जोर।
3. प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने में प्राथमिकता अनुसार चयन एवं सघन गतिविधियों के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति।
4. ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक सशक्त मॉनीटरिंग एवं बाह्य निकाय द्वारा प्रगति का सत्यापन।
5. अभियान से जुड़े समस्त क्रियान्वयन कर्ताओं का सघन प्रशिक्षण कर क्षमतावर्धन।
6. खेल, कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा एवं उद्योग आदि क्षेत्रों के ख्यात व्यक्तियों की मिशन में सक्रिय भागीदारी।
7. स्थानीय शासकीय अमले, जनप्रतिनिधियों, जनसमुदाय, प्रेरकों को प्रशिक्षित कर ठोस एवं तरह अपशिष्ट प्रबंधन डी.पी.आर. तैयार एवं क्रियान्वयन।

वर्ष	खुले में शौच मुक्त करने हेतु चयनित पंचायतों की संख्या		घरेलू शौचालय का कवरेज		संचयी कवरेज का प्रतिशत	
	वार्षिक लक्ष्य	संचयी लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य	संचयी लक्ष्य	खुले में शौच मुक्त पंचायतें	व्यक्तिगत शौचालय
मार्च 2014 तक प्रगति	–	2,703	–	37,26,422	11.75	30.43
2014–15	3,130	5,833	9,94,292	47,20,714	25.35	38.56
2015–16	5,167	11,000	17,79,286	65,00,000	47.81	53.09
2016–17	4,000	15,000	20,00,000	85,00,000	65.20	69.42
2017–18	4,000	19,000	20,00,000	1,05,00,000	82.59	85.76
2018–19	4,006	23,006	17,44,063	1,22,44,063	100.00	100.00

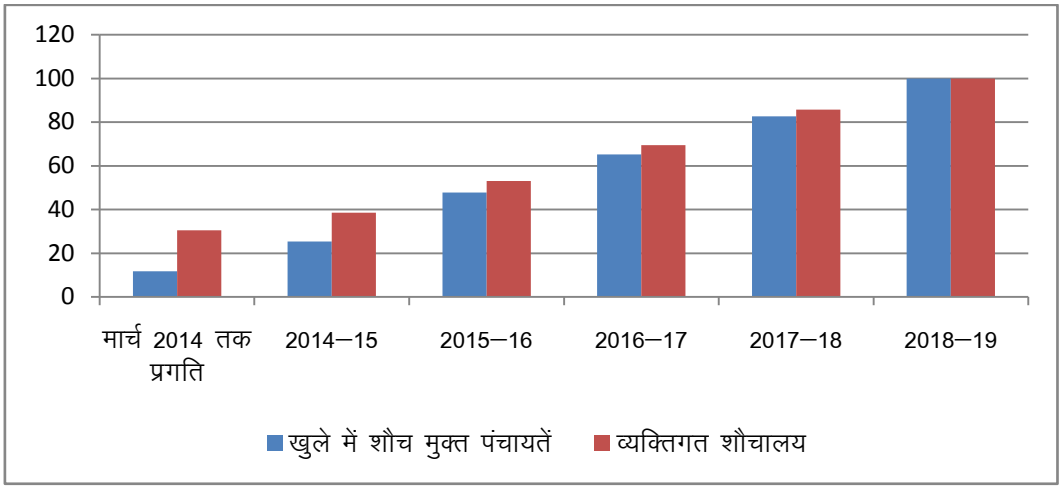

उपलब्धि

भौतिक प्रगति–व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण

	उपलब्धि (परिवार संख्या)				
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
शौचालय सहित	26,88,812	32,04,395	37,26,134	47,34,081	58,44,831
शौचालय रहित	84,87,862	79,72,279	74,50,540	64,42,593	53,31,843

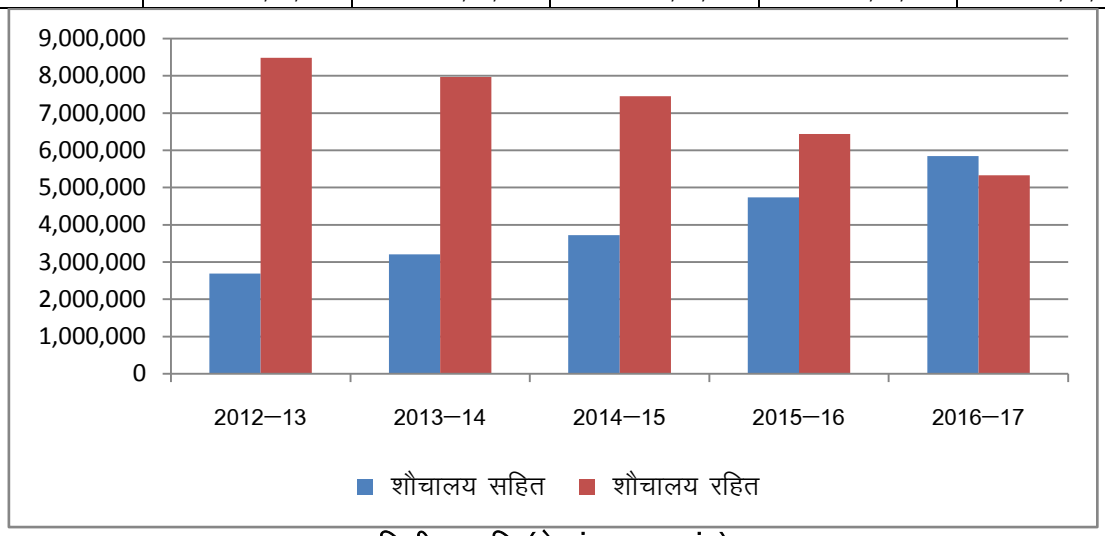

वित्तीय प्रगति (केन्द्रांश + राज्यांश)

राशि लाख में

2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17	
जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि
33032-23	24396-70	78689-00	22894-78	15000-60	30706-90	29370-92	87783-21	114078-43	171592-48

दिसम्बर 2016 तक

निष्कर्ष

सन् 2019 तक हम पूर्ण स्वच्छता को प्राप्त कर चुके होंगे। इतना ही नहीं चिकित्सा, पर्यटन, रेलवे, बस स्टाप सभी जगह स्वच्छता निश्चित रूप से दिखाई देगी। हम पर्यटकों को साफ स्वच्छ और सांस्कृतिक विरासत से सुशोभित यादों के साथ विदा करेंगे। इसके लिये सरकार और साथ ही लोगों के द्वारा संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए। विकासशील राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम हमें अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखना भी आवश्यक है यदि हमारा राष्ट्र ही स्वच्छ नहीं होगा तो गंदगी के कारण भिन्न–भिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित होते रहेंगे, साथ ही पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या कम होती जाएगी। अन्य राष्ट्र जो हमारे भारत देश में विनियोग कर रहे हैं वह भी कम कर देंगे इससे हमें राष्ट्रीय आय का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

हमारा लक्ष्य स्वच्छ भारत अभियान 2019 तक न होकर हमेशा स्वच्छ रहे। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस दृष्टिकोण को बदलकर हमें खुद अपने घर, मोहल्ला, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थल हर वह

स्थान जहां हम आते जाते हैं उन्हें स्वच्छ रखना पड़ेगा तभी हम स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2014–15 पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मध्यप्रदेश शासन*
2. *प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2016–17 पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मध्यप्रदेश शासन*
3. *कुरूक्षेत्र, वर्ष 62, अंक : 08 जून 2016*
4. *योजना, वर्ष 60, अंक : 02 फरवरी 2018*
5. *दैनिक भास्कर समाचार*
6. *पत्रिका समाचार पत्र*
7. *नई दुनिया समाचार पत्र*
8. *हरि भूमि समाचार पत्र*